

कार्यालय आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के अधीन संचालित महात्मा गांधी नरेगा योजना राजस्थान के अन्तर्गत कार्य सम्पादन हेतु भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 21.08.14 के तहत निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी के अधीन कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुभाग-3) के पत्रांक एफ. 11(8)ग्रावि/नरेगा/पद सृजन/2016/93342 दिनांक 25.05.17, एवं 19.09.17 द्वारा दिये निर्देशानुसार इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 5436 दिनांक 29.11.17 के द्वारा जिले की पंचायत समितियों में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों पर कार्मिकों की सेवाएं अनुबन्ध (संविदा) पर लेने एवं पैनल तैयार करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त आवेदन पत्रों की छंटनी तथा उपलब्ध रिक्तियों के चार गुना पात्र अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन पश्चात् अन्तिम रूप से पात्र अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सूची तैयार की गई थी की पालना में जारी पदस्थापना आदेशों के अन्तर्गत जिन अभ्यर्थियों ने 28.02.2018 तक कार्य ग्रहण नहीं किया के रथान पर आगामी वरीयता के आधार पर रिक्त पदों पर पदस्थापन आदेश जारी किये जाते हैं। श्रीमान् शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.10(6)ग्रावि/मनरेगा/जेटीए/2016 दिनांक 07.09.16 एवं 27.09.16 के निर्देशों की अनुपालना में वरिष्ठता सूची अनुसार अभ्यर्थियों की सेवाएं 8000/- रुपये एक मुश्त मानदेय एवं ग्रामीण भत्ता 3000/- रुपये एवं यात्रा भत्ता 2000/- रुपये कुल 13000/- रुपये (अखरे रुपये तेरह हजार मात्र) पर अनुबन्ध पर लिये जाने हेतु उनका पदस्थापन उनके नाम के आगे अंकित पंचायत समिति में किया जाता है। ग्राम पंचायत में तकनीकी सहायक को एक माह में कम से कम 20 दिवस का दौरा स्वयं के वाहन से कार्य का निरीक्षण करना होगा, तभी उक्त मानदेय देय होगा।

| क्र. सं. | वरीयता क्रमांक | नाम अभ्यर्थी मय पिता/पति का नाम व पता | जन्मतिथि | शैक्षणिक योग्यता | आवंटित पंचायत समिति |
|----------|----------------|--|------------|------------------|---------------------|
| 09 | 11 सामान्य | श्री हीराराम पुत्र श्री बेराराम, जगदम्बा नगर, पोस्ट पंचला खुर्द, तहसील तिवरी जिला जोधपुर | 10.10.1994 | डिग्री सिविल | नोखा |
| 36 | 16 सामान्य | श्री शिवलाल कुम्हार पुत्र श्री तोलाराम कुम्हार, धमार्थ पशु चिकित्सालय के सामने, बंगला नगर, बीकानेर | 03.08.1991 | डिग्री सिविल | श्रीडूंगरगढ़ |

चयनित अभ्यर्थी 30.04.2018 तक ऊपर अंकित पंचायत समिति में विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी को अपनी उपस्थिति देवें। उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है तथा डाक से भी उपलब्ध करवाये गये पते पर भेजा जा रहा है परन्तु डाक के विलम्ब हेतु विभाग उत्तरदायी नहीं होगा तथा दिनांक 30.04.2018 तक उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में उनका चयन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। अभ्यर्थी जिला परिषद (ग्राविप्र) बीकानेर में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1(04)एफडी/रूल्स/2011 पार्ट-III जयपुर दिनांक 27.06.2014 के अनुसार संविदा के आधार पर लिखित में 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध भर कर प्रस्तुत करेंगे तथा सम्बन्धित पंचायत समिति में विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी के अधीन अपनी सेवाएं देंगे। चयनित अभ्यर्थी की डिग्री/डिप्लोमा/कॉलेज/ विश्वविद्यालय/संस्थान इत्यादि की वैधता का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि से कराया जायेगा। यदि इस की वैधता के सम्बन्ध में अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई गयी अथवा उसके विरुद्ध किसी भी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड पाया गया तो उसका अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा व विभाग द्वारा विधि सम्मत कानूनी कार्यवाही की जाने की दशा में समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। उपरोक्त अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण पश्चात् 15 दिवस के अन्दर चरित्र एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अपने कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

Sd/-
(अजीत सिंह)
अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, बीकानेर
दिनांक 16/4/18

क्रमांक : जिप(ग्राविप्र)/एमजीनरेगा/2018-19/9217-9223
प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- श्रीमान् जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, बीकानेर।
- विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति नोखा/श्रीडूंगरगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थी से दिनांक 30.04.2018 तक मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थिति रिपोर्ट लेवें। कार्यग्रहण पश्चात् 15 दिवस के भीतर चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करें। अभ्यर्थी से अनुबन्ध पत्र तैयार करवाकर इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवावें।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी श्री/सुश्रीको प्रेषित कर निर्दिष्ट किया जाता है कि नियत तिथि तक अपने मूल दस्तावेज सहित सम्बन्धित पंचायत समिति में अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।
- संस्थापन शाखा कार्यालय हाजा। (नरेगा)

Sd/-
अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, बीकानेर

**अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला
परिषद बीकानेर**

क्रमांक : जिप(ग्राविप्र)/एमजीनरेगा/2018-19/9207-9216

दिनांक16.11.18


कार्यालय आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के अधीन संचालित महात्मा गांधी नरेगा योजना राजस्थान के अन्तर्गत कार्य सम्पादन हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमत प्रशासनिक व्यय के तहत निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी के अधीन लेखा सहायक के पदों हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुभाग-3) के पत्रांक एफ.11(8)ग्रावि/नरेगा/पद सृजन/2016/93342 दिनांक 25.05.17, 18.07.2017 एवं 19.09.17 द्वारा दिये निर्देशानुसार इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 5436 दिनांक 29.11.17 के द्वारा जिले की पंचायत समितियों में लेखा सहायक के पदों पर कार्मिकों की सेवाएं अनुबन्ध (संविदा) पर लेने एवं पैनल तैयार करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त आवेदन पत्रों की छंटनी तथा उपलब्ध रिक्तियों के चार गुना पात्र अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन पश्चात् अन्तिम रूप से पात्र अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सूची तैयार की गई थी की पालना में जारी पदस्थापना आदेशों के अन्तर्गत जिन अभ्यर्थियों ने 28.02.2018 तक कार्य ग्रहण नहीं किया के स्थान पर आगामी वरीयता के आधार पर रिक्त पदों पर पदस्थापन आदेश जारी किये जाते हैं। श्रीमान् शासन सचिव एवं आयुक्त ईजीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.11(8)ग्रावि/मनरेगा/पद सृजन/2016/93342 दिनांक 25.05.17 के निर्देशों की अनुपालना में वरिष्ठता सूची अनुसार अभ्यर्थियों की सेवाएं 8000/- रूपये एक मुश्त मानदेय (अखरे रूपये आठ हजार मात्र) पर अनुबन्ध पर लिये जाने हेतु उनका पदस्थापन उनके नाम के आगे अंकित पंचायत समिति में किया जाता है।

| क्र. सं. | वरीयता क्रमांक | नाम अभ्यर्थी मय पिता/पति का नाम व पता | जन्मतिथि | शैक्षणिक योग्यता | आंवटित पंचायत समिति |
|----------|--|---|------------|------------------|---------------------|
| 01 | 01 निःशक्तजन (ब्लाईंड) सामान्य. | श्री मनोज कुमार दाधीच पुत्र श्री हरीशचन्द्र दाधीच, जस्सूसर गेट के अन्दर, स्वामी मोहल्ला नया शहर बीकानेर | 06.09.1982 | एम.कॉम. | कोलायत |
| 61 | 08 सामान्य | श्री विष्णु कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मदनमोहन गुप्ता, श्री कृष्णा फोटो स्टेट हायर सैकेण्डरी स्कूल रोड, वार्ड नंबर 24, वैद्य कॉलोनी, गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर-322201 | 11.02.1981 | एम.कॉम. | खाजूवाला |
| 163 | 05 अनुसूचित जनजाति | श्री मनोज कुमार मीणा पुत्र श्री गोपीकिशन मिणा गांव बिग्गाबास वार्ड नंबर 24 श्रीडूंगरगढ | 30.01.1994 | एम.कॉम. | खाजूवाला |
| 297 | 07 अनुसूचित जनजाति | श्री सुरेश कुमार मीणा पुत्र श्री बट्टी नारायण मीणा, गांव भागीपुरा, पोस्ट तामडियो तहसील चाकसू जिला जयपुर-303901 | 05.02.1990 | एम.कॉम | नोखा |

चयनित अभ्यर्थी 30.04.2018 तक ऊपर अंकित पंचायत समिति में विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी को अपनी उपस्थिति देवें। उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है तथा डाक से भी उपलब्ध करवाये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जा रहा है परन्तु डाक के विलम्ब हेतु विभाग उत्तरदायी नहीं होगा तथा दिनांक 30.04.2018 तक उपस्थिति

नहीं देने की स्थिति में उनका चयन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी जिला परिषद (ग्राविप्र) बीकानेर में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1(04)एफडी/रूल्स/2011 पार्ट-II जयपुर दिनांक 27.06.2014 के अनुसार संविदा के आधार पर लिखित में 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध भर कर प्रस्तुत करेंगे तथा सम्बन्धित पंचायत समिति में विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी के अधीन अपनी सेवाएं देंगे। चयनित अभ्यर्थी की डिग्री/डिप्लोमा/कॉलेज/ विश्वविद्यालय/संस्थान इत्यादि की वैधता का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि से कराया जायेगा। यदि इस की वैधता के सम्बन्ध में अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई गयी अथवा उसके विरुद्ध किसी भी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड पाया गया तो उसका अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा व विभाग द्वारा विधि सम्मत कानूनी कार्यवाही की जाने की दशा में समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। उपरोक्त अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण पश्चात् 15 दिवस के अन्दर चरित्र एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अपने कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


(अजीत सिंह)


अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, बीकानेर

क्रमांक : जिप(ग्राविप्र)/एमजीनरेगा/2018-19/ 9207-9214

दिनांक16.04.2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. श्रीमान् जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, बीकानेर।
2. विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति खाजूवाला/कोलायत/नोखा को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थी से दिनांक 30.04.2018 तक मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थिति रिपोर्ट लेवे। कार्यग्रहण पश्चात् 15 दिवस के भीतर चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करे। अभ्यर्थी से अनुबन्ध पत्र तैयार करवाकर इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवावे।
3. सम्बन्धित अभ्यर्थी श्री/सुश्री को प्रेषित कर निदृष्टि किया जाता है कि नियत तिथि तक अपने मूल दस्तावेज सहित सम्बन्धित पंचायत समिति में अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करे।
4. संस्थापन शाखा कार्यालय हाजा।


(अजीत सिंह)

अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला-परिषद, बीकानेर